(6)

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0 07 (सात)

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 09.05.2018 (तारीख) को 2, 20 P.M. (बजे)

*अभ्यर्थी/~~प्रस्थापक~~ प्रसेनजीत कृष्ण (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया। 9.5.18

निर्वाची पदाधिकारी
50-जोकीहाट वि०स०
-सह- अपर समाहर्त्ता
अररिया

तारीख 09.05.2018 रिटर्निंग आफिसर

लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :-

....

....

....

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

''प्ररूप 26''

(नियम 4 को देखिए)

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No-43/03 (7217J) Expiry Date-13.10.2018 Araria (Bihar)

NOTARY ARARIA

AFFIDAVIT No-83/2018

जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

जोकीहाट विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग—क

मैं प्रसेनजीत कुमार **पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ जय कुमार यादव

आयु 28 वर्ष, जो ग्रा०- पैमरकट्ठा, थाना- नरपतगंज

जिला- अररिया

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती~~ हूं :—

(1) मैं शून्य (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम (प्रसेनजीत कुमार) नरपतगंज विधान सभा (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 99 के क्रम सं. 131 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9955901513 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और bvym2015@gmail.com मेरा ई—मेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i) × (ii) × (iii) × मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं।

(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वयं	BGZPK6111J	नहीं	नहीं
2.	पति या पत्नी	शून्य	नहीं	नहीं
3.	आश्रित–1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित–2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित–3	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No. 43/08 (7217) Expiry Date- 13.10.2018 Araria (Bihar)

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(6) यदि अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	(1) नरपतगंज थाना कांड सं० 370/17 (2) एस० सी० एस० टी० थाना कांड सं० 63/17 जिला- अररिया, राज्य बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	(1) 323, 353, 384 भा०द०वि० (2) 341, 323, 354'बी', 504, 379, 506, 34 भा०द०वि० एवं 3(1) (r) एस०सी० एस०टी० एक्ट
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ड़)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(9)

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है: नहीं

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No. 43/03 (7217J) Expiry Date 13.10.2018 Araria (Bihar)

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:–

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	25,000/-	10,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	IDFC Bank, Ranchi A/c No. 115201501805 10,000/- (लगभग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	हीरो ग्लैमर (2) [illegible] मोटरसाइकिल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस (वस्तुएं) (भार ओर मूल्य के ब्यौरे)	सोना जेवरात 5 भर	सोना का जेवरात 10 भर चांदी-25 भर	शून्य	सोना-2 भर	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,00,000/-	3,50,000/-	शून्य	70,000	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No-43/03 (7217J) Expiry Date-13.10.2018 Araria (Bihar)

ञ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षक संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	माता-पिता	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	4 एकड़	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	50,00,000/-	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA
NOTARY
Govt. of Bihar
Regd No-43/03
(7217)
Expiry Date
13.10.2018
Araria (Bihar)

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से से संपत्ति पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	संयुक्त पक्की मकान सहित आठ कमरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	10 डि०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	.08 डि०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से से भूमि पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	35,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से(v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No-43/03 (7217J) Expiry Date- 13.10.2018 Araria (Bihar)

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:–

(टिप्पणः कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(13)

(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No-... (7217J) Expiry Date 13.10.2018 Araria (Bihar)

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं...... स्वयं और समाज सेवा

(ख) पति या पत्नी...... शून्य

(9क) आय के (स्त्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं...... स्वयं

(ख) पति या पत्नी...... शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिये अनुसार है:– अं. तर स्नातक, विज्ञान फॉरबिसगंज महाविद्यालय फॉरबिसगंज, 2009

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग—ख

(11) भाग—क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~कु0~~ प्रसेनजीत कृष्णा
2	डाक का पता	ग्रा0- पंजरकट्टा, थाना- नरपतगंज जिला- अररिया
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	जोकीहाट विधान सभा- 50 (बिहार)
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र
5	(i)ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	नहीं
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं

RANJAN KUMAR VERMA NOTARY Govt. of Bihar Regd No-43/03 (7217) Expiry Date 13.10.2018 Araria (Bihar)

7		.... का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख		स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व	शून्य				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शून्य				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: अन्तर स्नातक, विज्ञान फारबिसगंज महाविद्यालय, फारबिसगंज वर्ष, 2009 बिहार इन्टरमिडिएट शिक्षा परिषद, पटना। (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरें दें।)					

RANJAN KUMAR VERMA
NOTARY
Govt. of Bihar
Regd No-43/03
(7217J)
Expiry Date- 13.10.2018
Araria (Bihar)

सत्यापन

मैं, उपर्युल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:—

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज, तारीख 08/05/18 को सत्यापित किया गया। Prasenjeet Krishna

Who is identified by P. K. Jha Advocate solemnly affirmed and declare before me.

Ranjan Kumar Verma NOTARY ARARIA (BIHAR)

Identified by

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणः 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणः 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9955901513

मेरा ई–मेल आई0डी0 (अगर कोई हो) है brym2015@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है facebook.com/Prasenjeet-Krishna

(17)

Annexure

AFFIDAVIT No - 84/2018

NOTARY ARARIA

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to ....Bihar Assembly........(Name of the House);

From.....Jokihat ... 50....Constituency.

I....Prasenjeet Krishna.........(Name of Candidate), Son/Daughter/wife of S/o Jay Kumar Yadav...................,aged..........years, Resident of............... At+Po. Ramjatkatta P.S. Narpatganj Dist. Araria ....a Candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at_______(mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on__________(the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues Certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

Authorised U/S 85 of the Indian evidence Act (Act I of 1872) with 8 (I) (e) of the Notary Act (Act is III of 1952)

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at ....08..............this the 05......day of..2018...........

Identified by

Prasenjeet Krishna

DEPONENT

Sri/Smt Prasenjeet Krishna
Who is identified by P.K. Jha
Advocate solemnly affirmed and declare before me.
R.K. Verma 08/05/018
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Adv. 8/5/18